राजकीय महाविद्यालय, पाटी (चम्पावत)
उत्तराखण्ड (262561)

(सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा से सम्बद्ध)

ई–मेल: gdcpati2019@gmail.com

उत्तराखण्ड राज्य

छात्र संघ निर्वाचन नियमावली/मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

महाविद्यालय में छात्र संघ निर्वाचन को सम्पन्न कराने हेतु लिंगदोह समिति की सिफारिशों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के निर्देशों, सोबन सिंह जीना / कुमांऊ विश्वविद्यालय की प्रचलित छात्र संघ नियमावली तथा विश्वविद्यालय द्वारा जारी चुनाव अधिसूचना के आधार पर महाविद्यालय प्रशासन द्वारा चुनाव अधिसूचना जारी की जायेगी। और इस अवधि में सम्पूर्ण महाविद्यालय परिसर में आदर्श आचार संहिता लागू होगी। जिसका पालन समस्त छात्र संघ प्रत्याशियों को करना अनिवार्य होगा।

उद्देश्य

1. विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भागीदारी का अवसर प्रदान करना।
2. छात्र नेतृत्व एवं उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना।
3. महाविद्यालय में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना।
4. चुनाव में बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप एवं अनावश्यक धनबल पर नियंत्रण रखना।
5. विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों एवं महाविद्यालय के अनुशासन की रक्षा करना।

चुनाव लड़ने की पात्रता

लिंगदोह समिति के मानकों के अनुसार उम्मीदवार को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी–

1 -नियमित विद्यार्थी - प्रत्याशी को महाविद्यालय का पूर्णकालिक विद्यार्थी होना चाहिए और उसे दूरस्थ / व्यक्तिगत शिक्षा का विद्यार्थी नही होना चाहिए। अतः प्रत्याशी को संस्थागत विद्यार्थी होना चाहिए। पाठ्यक्रम की अवधि कम से कम एक वर्ष होनी चाहिए।

2 - आयु सीमा -

i. स्नातक स्तर पर छात्र/छात्रा प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 17 वर्ष तथा अधिकतम 22 वर्ष होगी।

ii .आयु की गणना के लिये प्रत्याशी की मानक तिथि 01 जुलाई होगी।

यदि किसी विशेष पाठ्यक्रम/श्रेणी के लिए विश्वविद्यालय नियमों में अलग आयु सीमा निर्धारित हो तो विश्वविद्यालय के नवीनतम नियम प्रभावी होंगे।*

3- उपस्थिति - अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम 75% उपस्थिति पूर्ण की होनी चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा परिशिष्ट-2 के अनुसार यह शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि विगत वर्ष उसकी उपस्थिति 75% रही है। वर्तमान कक्षा में प्रवेश की तिथि से अनुच्छेद 5 (बी) के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लिखित पदों

की विशिष्ट अर्हताओं के अनुरूप चुनाव हेतु नामांकन दाखिल करने की तिथि तक 75% उपस्थिति रही है तथा भविष्य में 75% उपस्थिति रहेगी।

4- शैक्षणिक बकाया -

i -प्रत्याशी को विगत कक्षाओं में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रत्याशी का कोई शैक्षणिक अवशेष (Barriyar/Back/COP) नही होना चाहिए।

ii - स्नातक प्रथम सेमेस्टर स्नातक कक्षा स्थानान्तरण प्रवेश, संकाय परिवर्तन (गत वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर) तथा अन्य संस्था से स्थानान्तरित प्रवेश पाये छात्र-छात्राओं को प्रत्याशी नहीं बनाया जायेगा। ऐसे छात्र/छात्रा का नामांकन होने पर उसे रद्द कर दिया जायेगा।

5- अनुशासन- जिस विद्यार्थी के विरुद्ध महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर पर गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई हो, उसकी पात्रता लागू नियमों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

6- आपराधिक रिकॉर्ड- प्रत्याशी का पूर्व में कोई अपराधिक रिकार्ड नही होना चाहिए। अतः किसी भी प्रकार के अपराध के विचारण अथवा दोषसिद्ध न हुआ हो। अभ्यर्थी को परिशिष्ट-2 में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7- चुनाव लड़ने के अवसर - प्रत्याशी के पास पदाधिकारी के रूप में चुनाव लड़ने का मात्र एक अवसर होगा।

8- गणवेश एवं परिचय पत्र- समस्त विद्यार्थी महाविद्यालय गणवेश (यूनिफार्म) एवं परिचय पत्र (ID Card) के साथ ही महाविद्यालय परिसर में प्रवेश करेंगे।

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित छात्रसंघ पदाधिकारी

महाविद्यालय में प्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारी निम्न प्रकार होंगे।

पद एवं योग्यता

1- अध्यक्ष -

(i) प्रत्याशी को स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(ii) प्रत्याशी रा० महा० पाटी चम्पावत में गत वर्ष का संस्थागत छात्र/छात्रा रहा/रही हो।

2 - उपाध्यक्ष(छात्र)

(i) प्रत्याशी द्वितीय सेमेस्टर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(ii) प्रत्याशी रा० महा० पाटी चम्पावत में गत वर्ष का संस्थागत छात्र/छात्रा रहा/रही हो।

3- उपाध्यक्ष(छात्रा) -

(i) प्रत्याशी को द्वितीय सेमेस्टर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(ii) प्रत्याशी रा० महा० पाटी चम्पावत में गत वर्ष की संस्थागत छात्रा रही हो।

4- सचिव -

(i) प्रत्याशी द्वितीय सेमेस्टर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(ii) प्रत्याशी रा० महा० पाटी चम्पावत में गत वर्ष का संस्थागत छात्र/छात्रा रहा/रही हो।

5- संयुक्त सचिव -

(i) प्रत्याशी को स्नातक प्रथम सेमेस्टर में अध्ययनरत संस्थागत छात्र/छात्रा होना अनिवार्य है।

6- कोषाध्यक्ष -

(i) प्रत्याशी को रा०महा० पाटी चम्पावत में किसी भी कक्षा का अध्ययनरत संस्थागत छात्र/छात्रा होना अनिवार्य है।

7- विश्वविद्यालय प्रतिनिधि-

प्रत्याशी को स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(ii) प्रत्याशी रा० महा० पाटी चम्पावत में गत वर्ष का संस्थागत छात्र/छात्रा रहा/रही हो।

8- संकाय प्रतिनिधि -

(i) प्रत्याशी को सम्बन्धित संकाय का संस्थागत छात्र/छात्रा होना अनिवार्य है।

9- सांस्कृतिक सचिव -

(i) प्रत्याशी को स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(ii) प्रत्याशी को नामांकन के समय सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भागीदारी करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(iii) प्रत्याशी राज० महा० पाटी चम्पावत में गत वर्ष का/की संस्थागत छात्र/छात्रा रहा/ रही हो।

महिला प्रतिनिधित्व/विशिष्ट पदों के संबंध में वही व्यवस्था लागू होगी जो SSJ विश्वविद्यालय की नवीनतम छात्र संघ नियमावली में निर्धारित हो।

कार्यकाल - छात्र संघ कार्यकारिणी का कार्यकाल उस सत्र के छात्रसंघ गठन की तिथि से अगले वर्ष से 30 जून तक होगा। 30 जून को छात्र संघ स्वत भंग मानी जाएगी।

चुनाव व्यय -

1. लिंगदोह समिति के अनुसार एवं SSJ विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अधिकतम चुनाव व्यय ₹5,000/- निर्धारित है। इस संबंध में SSJ विश्वविद्यालय के नवीनतम नियम व निर्धारित सीमा लागू होगी।

2. चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद दो सप्ताह की अवधि में व्यय विवरण निर्वाचन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

3. व्यय विवरण की जांच की जाएगी।

4. निर्धारित सीमा से अधिक खर्च अथवा व्यय संबंधी नियमों के उल्लंघन पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी/निर्वाचन विश्वविद्यालय एवं लागू नियमों के अनुसार निरस्त किया जा सकता है।

5. चुनाव में बाहरी राजनीतिक दलों अथवा अन्य बाहरी स्रोतों से धन प्राप्त करना प्रतिबंधित रहेगा।

चुनाव संबंधी शिकायत -

1. चुनाव संबंधी शिकायत लिखित रूप में निर्वाचन अधिकारी को दी जाएगी।

2. शिकायत में तथ्य, तिथि तथा उपलब्ध प्रमाण स्पष्ट रूप से दिए जाएंगे।

3. निर्वाचन समिति का शिकायत निवारण प्रकोष्ठ शिकायत की जांच करेगा।

4. गंभीर मामले में अनुशासन समिति/प्राचार्य/विश्वविद्यालय को प्रकरण भेजा जा सकता है।

आचार संहिता -

विश्वविद्यालय द्वारा चुनाव अधिसूचना जारी होते ही सभी उम्मीदवारों एवं उनके समर्थकों पर चुनाव आचार संहिता लागू होगी।

प्रत्येक उम्मीदवार –

1. महाविद्यालय गणवेश में ही महाविद्यालय परिसर में प्रवेश करेंगे।

2. शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से प्रचार करेगा।

3. किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहेगा।

4. महाविद्यालय की संपत्ति की सुरक्षा करेगा।

5. मतदान की स्वतंत्रता का सम्मान करेगा।

6. निर्वाचन समिति के निर्देशों का पालन करेगा।

7. चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए बाहरी व्यक्ति अथवा राजनीतिक संगठन की सहायता नहीं लेगा।

प्रतिबंधित गतिविधियां -

1. महाविद्यालय परिसर में अनुशासनहीनता, अराजकता व भ्रामक प्रचार करना।

2. किसी विद्यार्थी या उम्मीदवार के विरुद्ध व्यक्तिगत अपमानजनक प्रचार।

3. धमकी, दबाव अथवा भय का वातावरण उत्पन्न करना।

4. बाहरी व्यक्तियों को प्रचार में शामिल करना।

5. महाविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना।

6. दीवारों, भवनों एवं सार्वजनिक स्थानों को पोस्टर/पेंट आदि से खराब करना।

7. लाउडस्पीकर, वाहन अथवा जुलूस का अनधिकृत उपयोग।

8 राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता लेना।

9. चुनाव प्रचार के नाम पर कक्षाओं अथवा शैक्षणिक गतिविधियों में बाधा डालना।

10. लिंगदोह मानकों में चुनाव प्रचार के दौरान मुद्रित पोस्टर/पैम्फलेट पर प्रतिबंध तथा हाथ से बनाए गए पोस्टरों को निर्धारित सीमा में अनुमति देने की व्यवस्था की गई है।

निर्वाचन प्रक्रिया

1. निर्वाचन प्रक्रिया जैसे नामांकन दाखिल करना, नाम वापसी, आमसभा, मतदान करना, निर्वाचन परिणाम की घोषणा और शपथ ग्रहण के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित निर्वाचन अधिसूचना जारी करेंगे, जिसमें उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं से संबंधित समय और तिथियों का उल्लेख किया जाएगा।

2. निर्वाचन की अधिसूचना के उपरांत अधिकतम 10 दिनों के भीतर समस्त निर्वाचन प्रक्रिया (नामांकन दाखिल करने से लेकर शपथ ग्रहण तक) संपन्न कर ली जाएगी।

3. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोई अप्रत्याशित घटना घटित होती है या विवाद उत्पन्न होता है और इस संबंध में विधिवत शिकायत प्राप्त होती है तो संस्थाध्यक्ष द्वारा गठित निर्वाचन समिति /छात्र संघ प्रभारी, जैसी भी स्थिति हो उस पर विचार कर अपना निर्णय देगा/देगी। लिया गया निर्णय अंतिम होगा किसी भी प्रत्याशी को निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में वाद दायर करने का अधिकार नहीं होगा।

4. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अर्थात नामांकन दाखिल करने के पश्चात् और परिणाम की घोषणा से पूर्व किसी प्रत्याशी की असामयिक मृत्यु हो जाने पर निर्वाचन प्रक्रिया स्थागित नहीं की जाएगी।

नामांकन हेतु नियम

i. नामांकन हेतु निर्धारित प्रपत्र / प्रारूप (परिशिष्ट-1) में निर्धारित तिथि एवं समय तक ही स्वीकार किया जायेगा।

ii. नामांकन प्रपत्र में सभी प्रविष्टियां पूर्ण करना आवश्यक होगा। अपूर्ण नामांकन प्रपत्र रद्द दिया जायेगा।

iii. नामांकन प्रपत्र के साथ हाईस्कूल प्रमाण-पत्र से लेकर अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण तक की सभी परीक्षाओं के अंक तालिकाओं की प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा नामांकन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

iv. प्रत्येक पद के प्रत्याशी हेतु एक-एक प्रस्तावक एवं एक-एक अनुमोदक होगा, जो उसी संस्था का संस्थागत छात्र/छात्रा होगा / होगी।

v. नामांकन पत्र दाखिल करते समय प्रत्याशी प्रस्तावक और अनुमोदक द्वारा संस्था का वर्तमान शिक्षा सत्र का परिचय पत्र व शुल्क रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

vi. कोई भी प्रत्याशी एक से अधिक पद हेतु नामांकन दाखिल नही कर सकेगा।

vii. नामांकन प्रपत्र में निर्धारित स्थान प्रत्याशी, प्रस्तावक एवं अनुमोदक वही नाम अंकित करेंगे जो उनके हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित है। उपनाम मान्य नहीं होगा। नाम में भिन्नता होने पर नामांकन रद्द कर दिया जायेगा।

viii.प्रत्याशी को नामांकन पत्र दाखिल करते समय निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट ट -2) में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। वह छात्रसंघ संविधानों में उल्लिखित आचार संहिता का पालन करेगा / करेगी। आचार संहिता का उल्लंघन करने की दशा में उसे छात्र संघ प्रक्रिया से अलग कर उसका निर्वाचन रद्द कर दिया जायेगा। ऐसा शपथ पत्र रु 10 के स्टाम्प पेपर पर ओथ कमिश्नर या नोटरी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

ix. राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव प्रक्रिया में धनराशि दिये जाने पर सम्बन्धित प्रत्याशियों को चुनाव प्रक्रिया से निषेध कर दिया जायेगा।

x. नामांकन एवं चुनाव के दौरान प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के द्वारा महाविद्यालय परिसर के बाहर जुलूस निकालना, जनसभा करना अथवा प्रचार (लाउडस्पीकर, वाहन और पशुओं का प्रयोग) करने की अनुमति नहीं होगी।

xi. महाविद्यालय की सम्पति को विरूपित अथवा नुकसान किये जाने हेतु संयुक्त एवं पृथक् रूप से उत्तरदायी होगें। प्रत्याशियों के द्वारा महाविद्यालय एवं रास्ते पर बैनर एवं पोस्टर नही लगाये जायेगें।

xii. चुनाव प्रचार हेतु प्रत्याशियों द्वारा केवल हस्त निर्मित प्रचार सामग्री का प्रयोग किया जाय।

xiii. सभी पदो के उम्मीदवारों को मतदान की तिथि से पूर्व निर्धारित दिवस में अपने-अपने विचार छात्र/छात्राओं के समक्ष रखने हेतु 05 (पांच) मिनट का समय दिया जाएगा।

xiii. सभी प्रत्याशियों से इस आशय का अनुबन्ध पत्र लिया जाएगा यदि उनके द्वारा लिंगदोह समिति के सुझावों का पालन नहीं किया जाता है तो उनका चुनाव हेतु नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा।

xiv. छात्रसंघ चुनाव के लिये नामांकन एवं जमानत राशि नामांकन के समय नकद जमा करना होगा।

xv.उक्त निर्देशों के अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन / एस एस जे/ कुमाँऊ विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश लागू होगें।

छात्रसंघ निर्वाचन को सफलतापूर्वक सम्पादित करने हेतु महाविद्यालय उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य नियम भी निर्गत कर सकता है।

मतदान प्रक्रिया -

1. मतदान निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर कराया जाएगा।
2. प्रत्येक मतदाता की पहचान महाविद्यालय आई कार्ड (परिचय पत्र) व फीस रसीद से सत्यापित की जाएगी।
3. मतदाता को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मतदान करने की अनुमति होगी।
4. मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी।
5. महाविद्यालय परिसर के भीतर प्रचार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
6. महाविद्यालय परिसर में नियमानुसार अनुमति प्राप्त अधिकृत मतदान अभिकर्ता ही उपस्थित रहेंगे।
7. किसी भी प्रकार के दबाव, हिंसा या अव्यवस्था की स्थिति में निर्वाचन समिति आवश्यक कार्रवाई करेगी।

मतगणना -

1. मतदान समाप्त होने के बाद मतपेटियों/मतपत्रों को सुरक्षित स्थान पर लाया जाएगा।
2. मतगणना छात्र संघ निर्वाचन समिति की देखरेख में निर्धारित समयानुसार प्रारंभ होगी।
3. प्रत्याशी मतगणना केंद्र पर स्वयं उपस्थित रह सकते हैं। अथवा मतगणना केंद्र हेतु निर्धारित मतदाता अभिकर्ता नियुक्ति प्रपत्र (परिशिष्ट 7) द्वारा एक अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। मतगणना अधिकारी के सम्मुख मतगणना अभिकर्ता नियुक्ति प्रपत्र प्रस्तुत करने पर ही अभिकर्ता को मतगणना केंद्र पर उपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

4. यदि मत पत्र पर मतदाता द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो अथवा उस पर कुछ लिखा गया हो तो मत पत्र अवैध माना जाएगा।

5. मतगणना स्थल पर किसी भी प्रत्याशी या उसके मतगणना अभिकर्ता द्वारा फोन या किसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लाई जाएगी।

6. सर्वाधिक वैध मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाएगा।

7. मतगणना अधिकारियों की मतगणना अंतिम मानी जाएगी और इस गणना के आधार पर संस्थाध्यक्ष अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जाएगी।

शपथ ग्रहण

परिणाम घोषित होने के बाद निर्वाचित छात्र संघ पदाधिकारियों को महाविद्यालय प्रशासन द्वारा शपथ दिलाई जाएगी।

शपथ में विद्यार्थी – संविधान एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा, महाविद्यालय की गरिमा, छात्र हित, अनुशासन, शांतिपूर्ण एवं जिम्मेदार छात्र नेतृत्व का पालन करने का संकल्प लेंगे।

यह SOP विश्वविद्यालय नियमावली के अनुसार छात्र संघ चुनाव के लिए महाविद्यालय स्तर पर चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करने हेतु तैयार की गई है।

प्रो० (डॉ०) राकेश कुमार पाण्डेय
प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय पाटी,
चम्पावत (उत्तराखंड)

(डॉ० गीता तिवारी पाण्डे)
छात्रसंघ प्रभारी
राजकीय महाविद्यालय पाटी,
चम्पावत (उत्तराखंड)